भारतीय रिज़र्व बैंक
रांची कार्यालय

कोटेशन हेतु अनुरोध
(केवल ई-प्रोक्युरमेंट द्वारा)

<u>निविदा का शिड्यूल</u>

<table>
<tr><td>a. ई-निविदा सं</td><td>RBI/Ranchi/Estate/46/22-23/ET77</td></tr>
<tr><td>b. ई-निविदा का नाम</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पैनलबद्ध डॉक्टरों द्वारा जारी क्रेडिट पर्ची के आधार पर दवाओं तथा गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति – 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु</td></tr>
<tr><td>f. डाउनलोड के लिए पार्टियों को उपलब्ध आरएफक्यू की तारीख</td><td>10:00 AM on 25-05-2022</td></tr>
<tr><td>c. प्रोक्योरमेंट की अनुमानित लागत</td><td>Rs. 25,00,000/- (वार्षिक आधार पर)</td></tr>
<tr><td>d. बयाना जमा-राशि</td><td>Rs. 50,000/- (अनुमानित राशि का 2%)

बयाना राशि सिर्फ एनईएफटी के माध्यम से जमा की जा सकती है:<table><tr><td>Beneficiary A/c Name</td><td>RBI NEFT Inward Received</td></tr><tr><td>Beneficiary A/c number</td><td>186003001</td></tr><tr><td>IFSC</td><td>RBIS0RNPA01</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>बोली पूर्व बैठक की तारीख (ऑफलाइन)</td><td>31-05-2022 को 11.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>बयाना जमा-राशि जमा करने की अंतिम तिथि</td><td>10:00 AM on 15-06-2022</td></tr>
<tr><td>बोली प्रारम्भ होने की तिथि</td><td>10:00 AM on 26-05-2022</td></tr>
<tr><td>ई-निविदा के माध्यम से कीमत बोली की अंतिम तिथि</td><td>11:00 AM on 16-06-2022</td></tr>
<tr><td>भाग-1 (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि और समय</td><td>--</td></tr>
<tr><td>भाग-2 (कीमत बोली) खोलने की तिथि और समय</td><td>03:00 PM on 16-06-2022</td></tr>
</table>

वेबसाइट	https://www.mstcecommerce.com/
लेनदेन शुल्क	MSTC पोर्टल में उल्लेख किए गए अनुसार MSTC लिमिटेड के पक्ष में MSTC पेमेंट गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से। **कृपया लेनदेन शुल्क का अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची को न करें।**

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

1. श्री रिचर्ड आलोक एक्का, सहायक महाप्रबन्धक – hrmdranchi@rbi.org.in – 7033023336
2. श्रीमती संगीता सोरेन, सहायक प्रबन्धक – hrmdranchi@rbi.org.in - 7873095700

कोटेशन इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नियत तिथि और समय पर खोली जायेगी। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए आप अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं।

नोट: सभी बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि भविष्य में आरएफक्यू के संबंध में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन / सुधार को आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा तथा **इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।**

भारतीय रिज़र्व बैंक
रांची कार्यालय
कोटेशन हेतु अनुरोध

निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा	
बोली लगाने की प्रारम्भ तिथि	**26-05-2022**
बोली लगाने की नियत अंतिम तिथि	**16-06-2022**
कीमत बोली खोलने की तिथि	**16-06-2022**

सेवा में

सभी इच्छुक केमिस्ट/ भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची कार्यालय के पैनलबद्ध केमिस्ट

विषय: भारतीय रिजर्व बैंक, रांची कार्यालय में 01 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 (नौ माह) की अवधि के लिए आरबीआई रांची के पैनलबद्ध डॉक्टरों द्वारा जारी क्रेडिट पर्चियों के आधार पर दवा और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वार्षिक संविदा हेतु कोटेशन के लिए अनुरोध।

महोदय**,**

हम 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक विभिन्न दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक वार्षिक संविदा करने के लिए इच्छुक हैं। निविदा एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट के ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि दवा और गैर-औषधीय वस्तुओं की खरीद के लिए अपने एक समान सर्वोत्तम रियायती दर प्रस्तुत करें। आपका प्रस्ताव फॉर्म-**I** में दिए गए प्रपत्र में होना चाहिए और एमएसटीसी साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। बयाना जमा राशि **(**EMD**),** एनईएफ़टी के माध्यम से जमा किया जाए।

<table>
<tr><td>एनईएफ़टी – ईएमडी जमा करने हेतु खाते का ब्योरा</td><td>
<table>
<tr><td>Beneficiary A/c Name</td><td>RBI NEFT Inward Received</td></tr>
<tr><td>Beneficiary A/c number</td><td>186003001</td></tr>
<tr><td>IFSC</td><td>RBIS0RNPA01</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

नियम एवं शर्तें

'पैनल में नाम शामिल करने हेतु अनुरोध वाले हमारे दस्तावेज़' में निर्दिष्ट और आपके द्वारा सहमत नियम और शर्तें लागू होंगी। फार्म-II में दी गई विशेष शर्तें भी लागू होंगी।

1. अपनी बोली के साथ रु.5**0,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र)** की बयाना जमा राशि (EMD) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पक्ष में एनईएफ़टी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ईएमडी के बिना प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी सफल बोलीदाता को वार्षिक संविदा/ठेका देने के बाद, 15 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। जो बोलीदाता अपनी प्रतिबद्धता/कोटेशनों का पालन नहीं करेंगे, उनकी ईएमडी की राशि क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबंधक(प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के द्वारा उनके विवेकानुसार जब्त कर ली जाएगी और वह अपनी इस कार्रवाई के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं।

2. वार्षिक संविदा (**Annual Contract**) किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सफल बोलीदाता को क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पक्ष में **रु.2**,50,000/- **(दो लाख पचास हज़ार रुपए मात्र)** की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) जमा करनी होगी। इस गारंटी की वैधता संविदा समाप्त होने की तारीख से छह माह बाद की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। बोली के साथ प्रस्तुत बयाना जमा राशि (EMD) कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी मिलने के बाद जल्द लौटा दी जाएगी। कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (PBG) के लिए प्रारूप फार्म-III में दिया गया है।

3. सफल बोलीदाता को फॉर्म-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंक के साथ एक वार्षिक संविदा (Annual Contract) करार करना होगा। यह वार्षिक संविदा (Annual Contract) के आदेश की तिथि से नौ माह की अवधि के लिए मान्य होगी और आपके द्वारा उद्धृत एक समान छूट की दर इस अवधि के लिए निर्धारित और वैध रहेगी। **एम्पैनल्मेंट** 01 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले अगले एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण के लिए पात्र होगा। आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम दो नवीनीकरण की अनुमति होगी।

4. किसी भी परिस्थिति में छूट की दर में परिवर्तन हेतु अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. समय इस संविदा का सार है, आपको प्रत्येक क्रेडिट स्लिप में आवश्यकता अनुसार अर्थात् उसी दिन या अगले दिन बैंक में डिलीवरी करनी होगी। आदेश को निष्पादित करने और अस्वीकृत सामग्री, यदि कोई हो, को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के लिए केमिस्ट का कार्यालय रांची में अवस्थित होना आवश्यक है। सेवानिवृत्त/कार्यरत कर्मचारियों और उनके आश्रितों के पास क्रेडिट पर्चियों के विरूद्ध सीधे केमिस्ट से दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं को प्राप्त करने का विकल्प होगा। इसके अलावा, अप्रयुक्त दवाओं को केमिस्ट को वापस कर दिया जाएगा, जिसके लिए बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि ऐसी अप्रयुक्त दवाई के लिए भुगतान किया गया है, तो राशि को अगले बिल से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, समाप्ति तिथि के करीब वाली दवाई को या तो बदल दिया जाएगा या केमिस्ट को वापस कर दिया जाएगा। यदि केमिस्ट समाप्ति के करीब वाली दवाई को बदलने में असमर्थ है, तो राशि को अगले बिल से समायोजित किया जाएगा।

6. यह ध्यान दिया जाए कि कानून के तहत लगाया गया कोई भी शुल्क, लेवी या करों का भुगतान करने का दायित्व केमिस्ट का होगा। बैंक को आपूर्ति के संबंध में उचित पैकेजिंग, ढुलाई, परिवहन आदि से जुड़े सभी खर्चे भी केमिस्ट को वहन करने होंगे। बैंक आपके प्रस्ताव के अनुसार केवल सामान के लेबल पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर अनुमत छूट घटाकर भुगतान करेगा।

7. बिना ईएमडी वाले प्राप्त कोटेशन और क्रम संख्या (1) में उद्धृत सूचना के अनुसार प्राप्त नहीं होने वाले कोटेशन (बोली) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। कोई भी सशर्त कोटेशन/प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नियत तिथि और समय पर कोटेशन को खोला जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए आप अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं।

9. **कीमतों में अंतर संबंधी खंड / फॉल क्लॉज (Fall Clause) :** यदि वह केमिस्ट, जिसके साथ बैंक ने वार्षिक खरीद करार किया है, इस संविदा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या संगठन को बैंक से ज्यादा छूट प्रदान करता है या दवा बेचने का प्रस्ताव करता है या बैंक की संविदा के समान मिलती-जुलती शर्तों पर दवाईयां बेचता है, तो बैंक के लिए लागू छूट की दर स्वतः ही इस करार के तहत बाद की सभी आपूर्ति के लिए उस तारीख से बढ़ जाएगी और यह करार तदनुसार संशोधित किया जाएगा। अन्य समानांतर संविदाकारों, यदि कोई हों, को भी कीमत कम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा और कम कीमत उन्हें अधिसूचित की जाएगी तथा यदि वे चाहें, तो उन्हें अपने संशोधित कीमतों को सूचित करने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए वे अपनी संशोधित कीमतें मुहरबंद लिफाफे में भेज सकते हैं जिसे सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट तारीख और समय पर खोला जाएगा और मानक प्रक्रियानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

10. उपर्युक्त नियमों और शर्तों को पूरा करने और उच्चतम छूट की पेशकश करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि संविदा पाने की पात्रता पूरी हो गई हो।

11. क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबंधक(प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे प्राप्त प्रस्तावों में से किसी को भी स्वीकार कर सकता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकते हैं। क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबंधक(प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह बैंक हित को ध्यान में रखते हुए इस दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी खंड में, जो उन्हें उचित लगे, सुधार/बदलाव कर सकते हैं।

12. क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पास बिना कोई कारण दिए और बैंक के पास उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक माह की पूर्व सूचना देते हुए वार्षिक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

नोट: सभी बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि भविष्य में आरएफक्यू के संबंध में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन / सुधार को आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा तथा **इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।**

फॉर्म – I

कीमत बोली

प्रेषक :

बोलीदाता का पूरा पता (फोन / फ़ैक्स और मो. सहित)

सेवा में, क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
चौथी मंजिल, आरआरडीए बिल्डिंग, कचहरी चौक
रांची ।

महोदय,

बैंक के पैनल तैयार करने हेतु अनुरोध (आर एफ ई) दस्तावेज़ और कोटेशन हेतु अनुरोध (आर एफ क्यू) दस्तावेज़ में अंकित नियम, शर्तों और अन्य ब्योरों को पूरी तरह से पढ़ और समझकर मैं / हम एतद्वारा नीचे दी गई दरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची को दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति करने का प्रस्ताव देता हूँ / देते हैं।

1. अधिकतम खुदरा मूल्य पर एक समान छूट आपूर्ति की सभी मदों पर निम्नलिखित रूप में प्रस्तावित है-

क) ______________________________(प्रतिशत में – अंकों में)

ख) ______________________________(प्रतिशत में – शब्दों में)

2. मैं/ हम पूर्वोक्त आपूर्तियों की पैकिंग, ढुलाई और उनके परिवहन खर्चों तथा उन पर सभी करों, वैट / बिक्री कर / लेवी / उपकर / चुंगी आदि को, जो कानूनन अपेक्षित हैं अथवा अपेक्षित हों, का वहन करने का वचन देता हूँ / देते हैं। क्रेता (बैंक) अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदत छूट काटकर भुगतान करेगा। मैं ऐसा कोई भी कर क्रेता (बैंक) से चार्ज नहीं करूँगा।

3. मैं/ हम यह भी वचन देता हूँ/ देते हैं कि आपूर्ति की गई मदों पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर कोट किए गए छूट की दर संविदा अवधि तक वैध रखूँगा/ रखेंगे।

4. मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/ देते हैं कि सभी दवाएं मांगपत्र/ क्रयादेश के अनुसार उपलब्ध करायी जाएगी और कोई भी सब्सिट्यूट दवाइओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर : दिनांक :

नाम: रबर की मुहर:

फॉर्म-II

कार्य का दायरा और नियम व शर्तें

1 आपूर्ति की जाने वाली दवाइयों और गैर-औषधीय वस्तुओं की डिलीवरी

प्रत्येक क्रेडिट स्लिप में आवश्यकता अनुसार अर्थात उसी दिन या अगले दिन बैंक में डिलीवरी किया जाना है। आदेश को निष्पादित करने और अस्वीकृत सामग्री, यदि कोई हो, को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के लिए केमिस्ट का कार्यालय रांची में होना आवश्यक है। सेवानिवृत्त/कार्यरत कर्मचारियों और उनके आश्रितों के पास क्रेडिट पर्चियों के विरुद्ध सीधे केमिस्ट से दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं को प्राप्त करने का विकल्प होगा।

2 गैर-प्रतिस्थापन (नॉन सब्सटिट्यूशन) / अनुसूची एम से पुष्टि

दवाई के किसी विशिष्ट ब्रांड के मांग की स्थिति में दूसरे ब्रांड की दवा की आपूर्ति नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, केवल अनुसूची विनिर्देशों से मेल खाने वाली दवाई की आपूर्ति की जाएगी।

3 पैक स्थिति में आपूर्ति

आपूर्ति उत्पादक की मूल पैकिंग में की जानी हैं। पैकिंग क्रयादेश में मांग की गई किसी विशेष दवा/ड्रग्स की कुल मात्रा के लगभग निकटतम मात्रा तक होनी चाहिए।

4 प्राधिकार पर्ची

यदि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी भी लाभार्थी को 'दस्ती' से प्राधिकार पर्ची देता है तो उक्त पर्ची में उल्लिखित अवधि के लिए लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति तुरंत की जाएगी।

5 आपूर्ति की गयी दवाई की जीवन अवधि

प्रत्येक दवा के लेबल पर उसकी शेल्फ लाइफ अंकित होती है। आपूर्ति की गई दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की शेल्फ लाइफ आपूर्ति के समय उनकी शेल्फ लाइफ अवधि से आधे से अधिक व्यतीत नहीं होनी चाहिए।

6 बिलों की प्रस्तुति:

भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची को हर महीने बिल जमा किए जा सकते हैं। भुगतान करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची स्रोत पर लागू करों में कटौती करेगा और इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

7 कार्यनिष्पादन प्रतिभूति

यदि अधिकृत केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की गई दवाएं और गैर-औषधीय वस्तुएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं तो कार्यनिष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने के लिए देय होगी।

कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है यदि विक्रेता:

i) संविदा की शर्तों के पालन में विफल रहता है, या

ii) कोई घटिया, नकली ड्रग्स अथवा सब्स्टिट्यूट दवाओं की आपूर्ति करता है।

iii) आपूर्ति में देरी करता है।

iv) अधिक मूल्य लेता है।

30 दिन की नोटिस दिए बिना केमिस्ट द्वारा दवाओं और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति नहीं रोका जाना चाहिए।

8 चूक/ देरी हेतु कटौती

8.1 दवाओं के किसी विशिष्ट ब्रांड की मांग की स्थिति में सब्स्टिट्यूट दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी। यदि भुगतान के पूर्व अथवा पश्चात, परवर्ती संवीक्षा के दौरान ऐसा कोई मामला पाया गया तो ऐसी प्रत्येक चूक के लिए विक्रेता रु.1,000/- (रुपए एक हजार मात्र) और दवाओं के विशिष्ट ब्रांड की लागत अदा करनी होगी।

8.2 दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की पूर्ण डिलीवरी उसी दिन या अगले दिन के भीतर, बैंक में और आपातकालीन स्थिति में बैंक द्वारा निर्देशित रोगियों के निवास पर की जाएगी। उपर्युक्त समय पर दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, प्रत्येक वस्तु के संबंध में विलम्ब के प्रत्येक दिन या उसके कुछ भाग के लिए केमिस्टों के बिल से 500/- रुपये काटे जाएंगे।

9 चूक करने पर संविदा की समाप्ति

संविदा भंग करने के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक बोलीदाता को चूक की लिखित नोटिस देकर संविदा को अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर सकता है। -

क. यदि बोलीदाता संविदा में निर्दिष्ट अवधि(यों) के भीतर संविदा को निष्पादित करने में विफल रहता है।

ख. यदि बोलीदाता संविदा के अंतर्गत कोई अन्य दायित्व/दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

ग. बैंक की दृष्टि में, यदि बोलीदाता (अन्य बोलीदाताओं से) प्रतिस्पर्धा करने हेतु अथवा संविदा निष्पादित करने के लिए किसी भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण आचरण में लिप्त पाया गया हो।

10 एकाधिक विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु अधिकार सुरक्षित रखना

क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची के पास किसी भी संख्या में केमिस्टों के साथ अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित है।

11 दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति

11.1 संबंधित क्रयादेश में दिए गए समय के भीतर क्रेता/लाभार्थी को दवाई और गैर-औषधीय मदों की आपूर्ति करने में विक्रेता की विफलता अथवा मनाही की स्थिति में विक्रेता के जोखिम और लागत पर संविदा समाप्त/निरस्त की जा सकती है। वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की व्यवस्था में जो अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली विक्रेता से की जाएगी। यह वसूली ऊपर के खंड 8 और नीचे के खंड 11.2 में उल्लिखित कटौती के अतिरिक्त और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

11.2 आपूर्ति की जाने वाली दवाइयां और गैर-औषधीय वस्तुएं मानक गुणवत्ता (स्टैंडर्ड क्वालिटी) की होंगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा और गैर-औषधीय वस्तुओं की तारीख समाप्त हो गई है या समाप्ति की तिथि के करीब है, जो मानक गुणवत्ता की नही पायी गयी है या अत्यंत ही निम्न गुणवत्ता श्रेणी (घटिया) का है या नकली है, तो केमिस्ट (नियुक्त अधिकृत केमिस्ट) फर्म को अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा 3 साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि केमिस्ट दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो बैंक अन्य केमिस्ट से इसकी खरीद करने का हकदार होगा और केमिस्ट बैंक द्वारा भुगतान किए गए मूल्य की पूरी प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, सहमत नियम और शर्तों के अनुसार विक्रेता दवाई और गैर-औषधीय वस्तुयों के लिए उन्हें जो भी देय राशि होगा, का दावा करने का पात्र होगा।

11.3 अप्रयुक्त दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं को केमिस्ट को वापस कर दिया जाएगा और समाप्ति के करीब वाली दवाई को या तो बदल दिया जाएगा या केमिस्ट को वापस कर दिया जाएगा। यदि केमिस्ट समाप्ति के करीब दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं को बदलने में असमर्थ है, तो राशि को अगले बिल से समायोजित किया जाएगा।

12 क्षतिपूर्ति

बोलीदाता बैंक को सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों और मांगो, जो इस संविदा के निष्पादन अथवा उससे जुड़े कार्य के मामले में बोलीदाता द्वारा की गई अथवा की जाने वाली किसी चीज के कारण उसके विरुद्ध की जाएं, से क्षतिपूरित रखेगा और इस संविदा के निष्पादन के संबंध में बोलीदाता द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले कार्य के कारण बोलीदाता के विरुद्ध किसी कार्रवाई अथवा मुकदमे के फलस्वरूप बैंक को हुए किसी नुकसान या क्षति के लिए वह उसे क्षतिपूरित करेगा। बोलीदाता भारत में प्रचलित जॉब सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और बोलीदाता की लापरवाही के कारण किसी दुर्घटना अथवा जीवन की क्षति के मामले में पैदा हुई सभी मांगों और दायित्वों से बैंक को मुक्त रखेगा। बोलीदाता इस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न सभी क्षतिपूर्तियाँ वहन करेगा और बैंक पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं डालेगा तथा बैंक को इसके लिए उत्तरदायी अथवा जवाबदेह नहीं ठहराएगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर और बोलीदाता की संपूर्ण लागत पर ऐसे मुकदमें में अपना बचाव या तो बोलीदाता के साथ संयुक्त रूप से अथवा अकेले (यदि बोलीदाता बचाव का चयन नहीं करता है) करेगा।

13 भुगतान

प्राधिकृत केमिस्ट दवाई और गैर-औषधीय वस्तुओं की आपूर्ति के बाद भुगतान का दावा करेगा। प्रस्तुत बिलों के भुगतान की व्यवस्था आमतौर पर बिल की प्रस्तुति की तारीख से 30 कार्य दिवसों में की जाएगी। तथापि, प्राधिकृत केमिस्ट किसी भी कारण से भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में ब्याज या क्षति के संबंध में बैंक से कोई दावा नहीं करेगा। खरीद के लिए भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए बोलीदाता को अपेक्षित बैंक विवरण प्रदान करना होगा ।

14 मध्यस्थता

इस करार से संबंधित या निष्पादित होने पर कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को बैंक और केमिस्ट की पारस्परिक सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ में निपटान के लिए संदर्भित किया जाएगा। यदि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई करार नहीं है, तो प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन द्वारा शासित होगी।

15 गोपनीयता खंड

केमिस्ट बैंक की आधारभूत संरचना/प्रणालियों/उपकरणों के बारे में कोई जानकारी, सामग्री और ब्यौरे, जो केमिस्ट के कब्जे या संज्ञान में इस करार से संबंधित संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के दौरान आए, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य पक्ष के सामने प्रकट नहीं करेगा और इसे हमेशा गोपनीय बनाए रखेगा। केमिस्ट संविदा के ब्यौरे को संविदा के अंतर्गत बाध्यताओं को पूरा करने या प्रयोज्य विधियों का अनुपालन करने की आवश्यक सीमा तक उपयोग करने के सिवाय हर समय निजी और गोपनीय मानेगा। केमिस्ट कार्य के विवरण को किसी व्यापार या तकनीकी पत्र में बिना नियोक्ता की पूर्व सहमति के प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा या प्रकट नहीं करेगा। उपर्युक्त का अनुपालन करने की विफलता को केमिस्ट की ओर से संविदा का भंग माना जाएगा और बैंक को अधिकार होगा कि वह हर्जाने का दावा करे और विधिक उपचार करे। केमिस्ट अपने कर्मचारियों के संबंध में वह सब कार्रवाई करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी को प्रकट नहीं किए जाने की बाध्यताएँ पूरी होती हैं। अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में केमिस्ट की बाध्यताएँ इस करार की अवधि-समाप्ति या उसके खत्म होने तक, चाहे जिस कारण से हो, लागू रहेंगी ।

16 यौन उत्पीड़न खंड

केमिस्ट " **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**" के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे । यदि बैंक परिसर के भीतर इसके कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत को केमिस्ट द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास फाइल किया जाएगा और केमिस्ट शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत युक्तियुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। केमिस्ट के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किए गए यौन उत्पीड़न शिकायत को बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा ।

****

फॉर्म – III

कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) फार्म (रु. 2,50,000/- राशि की)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी-महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
रांची

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची द्वारा जारी पैनल तैयार करने हेतु अनुरोध दिनांकित . . . . और कोटेशन हेतु अनुरोध दिनांकित . . ..के अनुसरण में . .. . (सफल बोलीदाता का नाम) ने, जिसके इसके बाद "सफल बोलीदाता" कहा गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची में दवाओं की आपूर्ति के लिए (सेवाओं का ब्योरा), जिसके इसके बाद "संविदा" कहा गया है, वार्षिक संविदा सं. .. . . दिनांकित. . .. . को ग्रहण किया है।

और जबकि निविदा दस्तावेज की यह एक शर्त है कि सफल बोलीदाता को संविदा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जमा करनी है।

और जबकि उक्त संविदा में यह बात आप द्वारा उल्लिखित की गई है कि सफल बोलीदाता को संविदा के अनुसार अपने निष्पादन दायित्वों का अनुपालन करने हेतु संविदा में निर्दिष्ट राशि की किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी आप को दी जाएगी।

और जबकि हम सफल बोलीदाता के लिए गारंटी देने के लिए सहमत हैं।

अतएव, हम एतद्द्वारा अभिपुष्टि करते हैं कि हम रु. 2,50,000/- की कुलराशि की सीमा तक गारंटर हैं और आपके प्रति उत्तरदायी हैं। संविदा के अंतर्गत सफल बोलीदाता को चूककर्ता घोषित किए जाने पर हम पहली लिखित मांग पर आपको अदा करने का वचन देते हैं। यह अदायगी पूर्वोक्त राशि की सीमा के भीतर की किसी राशि या किन्हीं राशियों पर कोई आपत्ति, नुक्ताचीनी या तर्क किए बिना की जाएगी। आपको अपनी मांग अथवा उसमें निर्दिष्ट राशि की अदायगी के संबंध में कोई आधार अथवा कारण सिद्ध करने अथवा दर्शाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. आपके कार्यालय का इस आशय का पत्र कि सफल बोलीदाता ने संविदा के अंतर्गत और उसके अनुसार अपने समस्त दायित्वों अथवा उनमें से किसी दायित्व के सम्यक व सत्यनिष्ठा से निष्पादन में चूक की है, वह निर्णायक, अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा। हम इस बात से भी सहमत हैं कि सफल बोलीदाता ने संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों के सम्यक और सत्यनिष्ठा से निष्पादन में कोई चूक की है अथवा नहीं, के संबंध में एकमात्र

निर्णायक आप होंगे और आपका यह निर्णय कि उसने चूक की है अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा, भले ही आपके और सफल बोलीदाता के बीच मतभेद हों अथवा आपके और उसके बीच कोई विवाद मध्यस्थ अथवा किसी अन्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल अथवा प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो। ।

3. इस गारंटी को लागू करने के लिए आपको यह अधिकार होगा कि आप इस प्रकार कार्रवाई करें कि जैसे कि हम प्रधान ऋणी हों और हमारे अथवा सफल बोलीदाता के संघटन में कोई बदलाव किसी प्रकार से अथवा किसी ढंग से इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता अथवा हमारे दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

4. आपको यह छूट होगी कि इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना संविदा के नियम और शर्तों को किसी भी समय बदलें अथवा निष्पादन हेतु समय अथवा अवधि को बढ़ाएं अथवा अपने किसी भी अधिकार के प्रयोग को स्थगित कर दें अथवा लागू करें अथवा संविदा के किसी भी निबंधन और शर्त को लागू करने से बचें। आप द्वारा ऐसी छूट के किसी प्रयोग से अथवा आपकी तरफ से अन्य सहनशीलता, उदारता, कार्रवाई, अथवा चूक से इस गारंटी के अंतर्गत हम अपनी देयता अथवा अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

5. हम यह भी वचन देते हैं कि हम गारंटी अवधि के दौरान उसे भंग नहीं करेंगे।

6. अनुरोध, मांग अथवा अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस ऊपर संदर्भित शाखा को भेजी जाए जिसे ऐसी नोटिस प्राप्त करने तथा तत्काल संबंधित भुगतान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत समझा जाएगा। यदि नोटिस डाक से भेजी गई हो, उसे उस समय पर दिया गया माना जाएगा, जब वह डाक से प्राप्त कर ली गई हो तथा डाक से भेजने पर ऐसी नोटिस का भेजा जाना सिद्ध करने के लिए आपके किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि लिफाफा डाक से भेजा गया था।

7. यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी और एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा संविदा के प्रावधानों के अनुसरण में आप द्वारा इसके रिलीज़ किए जाने तक लागू और प्रभावी रहेगी।

2022 के . .. . दिन ………………….. रांची में हस्ताक्षरित और मुहरबंद की गई।

हस्ताक्षरित और मुहरबंद करके सुपुर्द किया गया

के वास्ते और की ओर से

द्वारा :

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

संविदा फॉर्म

यह करार वर्ष 2022 के माह. .. . . के.. . .. . दिन

एक पक्ष -------------------------------

(जिसे इसके बाद क्रेता कहा गया है)

और

द्वितीय पक्ष . .. .

(जिसे इसके बाद "केमिस्ट" कहा गया है)

के बीच किया गया।

चूँकि क्रेता छूट प्राप्त मूल्य पर कतिपय दवाओं तथा गैर-औषधीय वस्तुओं आदि क्रय करने का इच्छुक है और इन वस्तुओं की आपूर्ति हेतु केमिस्ट की बोली स्वीकार कर ली गई है।

अब यह करार निम्नवत साक्षी है:

1. इस करार में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो क्रमश: करार की संबंधित शर्तों में उनके लिए नियत किया गया है।

2. निम्नांकित दस्तावेज इस करार के भाग समझे जाएंगे, करार के भाग के रूप में पढ़े जाएंगे और करार के भाग के रूप में उनका अर्थ निकाला जाएगा, यानी

2.1 केमिस्ट द्वारा प्रस्तुत सूचीबद्ध करने के अनुरोध वाला दस्तावेज दिनांकित..................

2.2 केमिस्ट द्वारा प्रस्तुत कोटेशन हेतु अनुरोध वाला दस्तावेज दिनांकित. .. . .

2.3. क्रेता द्वारा कार्य दिए जाने की अधिसूचना

3. क्रेता द्वारा केमिस्ट को किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिफल में केमिस्ट एतद्द्वारा क्रेता के साथ पारस्परिक संविदा करता है कि वह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करेगा तथा संविदा के प्रावधानों के अनुसार उनमें पाई जाने वाली कमियों को हर प्रकार से दूर करेगा।

4. क्रेता एतद्द्वारा पारस्परिक संविदा करता है कि वह वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने और उनमें पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के प्रतिफल के रूप में निविदा मूल्य अथवा ऐसी अन्य राशियाँ जो निविदा के प्रावधानों के अधीन देय हों, का भुगतान करेगा। यह भुगतान संविदा में निर्धारित रीति से किया जाएगा।

5. केमिस्ट द्वारा आपूर्ति/उपलब्ध करायी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का विवरण निविदा शर्तों के दस्तावेज में दिया गया है।

****